



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



सं. मा.सं.प्र.-III/4(23)/2019/प्र.अधि./ले.अधि./108

दिनांक: 22 जुलाई, 2025

सेवा में,

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्या.) (अंचल),
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल),
सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी

विषय: वरिष्ठता कोटे के अंतर्गत पैनल वर्ष 2026 के लिए प्र.अधि./ले.अधि. के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, सूचित किया जाता है कि वर्तमान निर्देशों के अनुसार, विभिन्न संवर्गों में पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समितिकी बैठक पहले से बुलाई और अनुमोदित की जानी आवश्यक है ताकि संबंधित रिक्ति वर्ष के प्रारंभ होने की तिथि तक चयनित पैनल तैयार हो जाएँ।

2. इस संबंध में, आपका ध्यान मुख्यालय द्वारा दिनांक 07.04.2022 के पत्र द्वारा जारी 'विभागीय पदोन्नति समिति हेतु आदर्श कैलेंडर' (epfindia.gov.in पर कार्यालय आदेश के अंतर्गत क्रम संख्या 12 पर उपलब्ध) की ओर आकर्षित किया जाता है। उक्त कैलेंडर में उल्लिखित कार्यसूची के अनुसार, समूह 'ख' संवर्ग में पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का प्रस्ताव अगस्त माह में मुख्यालय को भेजा जाना है।

3. चूंकि प्र.अधि./ले.अधि. एक समूह 'ख' संवर्ग है, इसलिए प्र.अधि./ले.अधि. के पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव अगस्त माह में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु मुख्यालय को भेजा जाना है।

4. उपरोक्त के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि कृपया पैनल वर्ष 2026 के लिए प्र.अधि./ले.अधि. के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव अनुसूची के अनुसार अग्रेषित करें।

भवदीय,

(सौरभ जगती)

अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मा. सं.)